(वाद संख्या–3108/16)

16.08.2019

परिवादी विमल चन्द्र झा उपस्थित है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला, देवी दयाल उच्च विद्यालय, कदम कुआँ, पटना के तीन सेवानिवृत शिक्षकों, स्व0 रामनारायण सिंह, रामनंदन शर्मा तथा राम सागर प्रसाद सिंह के कर्मचारी भविष्य निधि योजना–1952 व कर्मचारी पेंशन स्कीम–1975 का लाभ, दिनांक 01.01.1985 से उनके सेवानिवृति की तिथि तक का नहीं दिये जाने के आधार पर, उनके प्रतिनिधि के रूप में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के आधार पर संस्थित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उपरोक्त मामले को लेकर उपरोक्त संबंधित लोगो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे तीन **Writ** याचिकायें दाखिल की गयी थी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना को इस संबंध में, निर्धारित समय सीमा के भीतर, सकारण आदेश पारित करने के निर्देश के साथ निष्पादित कर दिया गया।

ए0पी0एफ0सी0 (लीगल), आर0ओ0, पटना द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पटना को उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के बकाया भविष्य निधि आदि पर अंतिम आदेश पारित करने से रोकने हेतु देवी दयाल उच्च विद्यालय, कदम कुआँ, पटना की ओर से सी0जी0आई0टी0, धनबाद के समक्ष एक अपील संख्या–**563(3) 2016** दाखिल किया गया है। आयोग द्वारा उक्त तथ्य के आलोक में परिवादी को सी0जी0आई0टी0, धनबाद के समक्ष **Intervener** के रूप में उपस्थित होकर उक्त अपील का यथाशीघ्र निष्पादन कराने को सुझाव दिया गया ताकि उपरोक्त तीनों सेवानिवृत शिक्षकों को उनके जीवनकाल में ही उनके भविष्य निधि आदि के दावे का निस्तारण किया जा सके।

परिवादी का कथन है की उसके जानकारी में उपरोक्त तीनों शिक्षकों की ओर से सी0जी0आई0टी, धनबाद के समक्ष अपील संख्या–**559(3) 2016** में **intervener** बनने हेतु कोई आवेदन अब तक नहीं दाखिल किया गया है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामला सी0जी0आई0टी0, धनबाद के समक्ष विचाराधीन है, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर से उक्त के संबंध में कोई निर्देश या आदेश पारित किया जाना उचित नहीं रहेगा।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रस्तुत मामले को बंद करते हुए परिवादी से यह अपेक्षा की जाती है कि सी0जी0आई0टी0, धनबाद के समक्ष लम्बित अपील संख्या–**559(3) 2016** के निस्तारण में अपने स्तर से उपरोक्त तीनों का पक्ष रखने में विधिनुसार सहयोग करें जिससे कि उपरोक्त तीनों शिक्षकों को उनके जीवनकाल में ही उनके भविष्य निधि आदि दावे का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सके।

तदनुसार परिवादी को आज पारित आदेश के संबंध में सूचित करें।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**कार्यकारी अध्यक्ष**